

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

ज्ञापन

क्रमांक 695 / गोपनीय / 2018
II-2-7/57 (Pt.II-D)

जबलपुर दिनांक 13 जून, 2018

प्रति,

श्री भारत सिंह औहरिया
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भिण्ड (म0प्र0)

विषय : नाम में त्रुटि सुधार संबंधी ।

उपर्युक्त विषयक एवं आपके कार्यालय पत्र क्रमांक 153/लेखा0/2018 दिनांक 31.01.2018 के संदर्भ में आपके संबंधित सेवा अभिलेख एवं वरिष्ठता सूची में आपके नाम में निम्नानुसार त्रुटि सुधार किया जाता है :-

	त्रुटिपूर्ण नाम	सही नाम
हिन्दी में	"भरत सिंह औहरिया" "भरत सिंह ओहरिया"	"भारत सिंह औहरिया"
अंग्रेजी में	"Bharat Singh Ouhariya" "Bharat Singh Ouharia" "Bharat Singh Ohariya"	"Bharat Singh Oharia"



रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 696 / गोपनीय / 2018
II-2-7/75 (Pt.II-D)

जबलपुर, दिनांक 13 06.2018

प्रतिलिपि:-

- 1 उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
- 2 प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004 को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 3 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 4 अनुभाग अधिकारी, पेन्शन / बजट / सहायक (कार्य) / शिकायत / वेतन निर्धारण (राजपत्रित) / अग्रिम / अवकाश (राजपत्रित) / चेकर / सहायक (गोपनीय) / डाटा एंट्री ऑपरेटर (गोपनीय अनुभाग) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।


(मो0 फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल